


## जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर

क्रमांक एफ/प्रशा/स्था/2024/89 49

दिनांक 09/10/24

// कार्यालयीन आदेश //

जीवाजी विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि, वे अर्जित अवकाश हेतु आवेदन 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करें एवं विभागीय अधिकारियों से अनुरोध है कि, वे 10 दिवस पूर्व प्राप्त अर्जित अवकाश के आवेदन को ही स्वीकृति हेतु प्रशासन विभाग को अग्रेषित करें, साथ ही 03 दिवस से अधिक चिकित्सा अवकाश हेतु आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाण-पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न कर प्रेषित करें, अन्यथा अवकाश स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक/ अधिकारियों/कर्मचारियों, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
- 2- कुलगुरु के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
- 3- कुलसचिव के निजी सहायक जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।

सहा. उप-कुलसचिव (प्रशासन)